

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110 029.

दिनांक : 21.04.2026

कार्यालय आदेश

विषय: लेखा अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति के संबंध में।

डीपीसी (समूह 'ए') की सिफारिशों के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनानुसार, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 10 (56,100-1,77,500 रुपये) में नियमित आधार पर लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। उनकी पदोन्नति उनके द्वारा पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से लागू होगी:-

क्र.सं	नाम	पदोन्नत श्रेणी के विरुद्ध	वर्तमान में कार्यरत संस्थानों/केन्द्रों के नाम	टिप्पणी
1.	श्री विनय दवे (एससी)	अनुसूचित जाति	परिषद मुख्यालय	परिषद की कार्यकारी स्वीकृति से, अर्हक सेवा में अधिकतम 50% तक की छूट का लाभ लेने के बाद अनुसूचित जाति कोटे के बैकलॉग के विरुद्ध पदोन्नत।

2. उपर्युक्त पदोन्नत अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापन के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

3. उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करें तथा पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करें। यदि उनसे 10 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि अधिकारी पदोन्नति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है और यह पदोन्नति आदेश आगे कोई सूचना दिए बिना स्वतः ही रद्द हो जाएगा। स्वीकृति प्रस्तुत करने या पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किन्हीं बाध्यकारी आधारों को छोड़कर, स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. वे पदभार ग्रहण करने की तारीख से लेखा अधिकारी के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे तथा परिषद के नियमों के अनुसार उन्हें भारत में कहीं भी सेवा करनी होगी।

5. उनका वेतन 7वें केंद्रीय वेतन आयोग और सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 2016 की सिफारिशों के अनुसार तय किया जाएगा।

6. पदोन्नत व्यक्ति को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक महीने के भीतर यह विकल्प देना होगा कि वे अपना वेतन नए पद पर निर्धारित वेतन लेंगे या लेखा अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से वेतन लेंगे या 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स के पिछले वेतन स्तर में अगली वेतन वृद्धि की तारीख से लेंगे।

7. यदि वे अपनी पदोन्नति अस्वीकार करते हैं, तो वे तब तक आगे वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, जब तक कि वे पुनः पदोन्नति पर विचार किए जाने के लिए सहमत नहीं हो जाते।

8. निर्धारित अवधि के भीतर पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने में असफल होने की स्थिति में, उन्हें एक वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा और डीओपीटी के दिनांक 1 अक्टूबर 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22034/3/81-स्था.(डी) के अनुसार, वंचित अवधि के दौरान पदोन्नति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा

9. इसके अलावा, डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/16/2019-स्थापना(Res.) दिनांक 12.04.2022 के पैरा 5 के अनुसार, उपर्युक्त पदोन्नतियाँ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के CA No. 629 के 2022 में दिए जाने वाले आगामी आदेशों के अधीन भी होंगी; यह मामला SLP (C) No. 30621/2011 से उत्पन्न हुआ है, जिसका शीर्षक 'जरनेल सिंह और अन्य बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता और अन्य' तथा अन्य संबंधित मामले हैं।

(रीमा शर्मा)
सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

सभी संबंधित अधिकारी (01)

प्रतिलिपि:

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक(एसपी)/अपर महानिदेशक(एएस)/वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव।
2. **सहायक महानिदेशक, परिषद मुख्यालय** - से अनुरोध है कि वे पदोन्नत व्यक्ति के कार्यभार ग्रहण करने/पदभार ग्रहण करने की रिपोर्ट/पदोन्नति से इनकार करने की सूचना यदि कोई हो, तो कृपया उसकी सूचना स्थापना अनुभाग, परिषद मुख्यालय को ई-मेल admin1.hq@icmr.gov.in पर तुरंत भेजी जाए।
3. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/सहा. महानिदेशक(प्रशा.)/सहा. महानिदेशक(वित्त एवं लेखा)।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी/बिल अनुभाग, परिषद मुख्यालय।
5. संपर्क अधिकारी (आरक्षण कक्ष), परिषद मुख्यालय।
6. सतर्कता/लेखा -I/VI अनुभाग/विधि कक्ष, परिषद मुख्यालय।
7. नोडल अधिकारी, आरटीआई डेस्क, परिषद मुख्यालय।
8. सहायक निदेशक, (राजभाषा), परिषद मुख्यालय।
9. बजट/गार्ड फ़ाइल।